



## महिला सशक्तिकरण : एक समाज शास्त्रीय अध्ययन

सुनिता संतोष पवार, पी-एच.डी. (छात्रा), जे.जे.टी.विश्वविद्यालय

डॉ. योगेश सिंह, शोध निदेशक, जे.जे.टी.विश्वविद्यालय

### शोध आलेख सारांश

सशक्तिकरण का पहला आयाम महिलाओं में आत्मविश्वास और स्वाभिमान जाग्रत करने से संबंधित है, पुरुष और महिला की सामाजिक स्थिति में अन्तर यों तो समूचे समाज में मौजूद है, किन्तु ग्रामीण समाज के हालात और बदतर हैं, शहरों में तो शिक्षा समाज सुधार आन्दोलन और प्रचार प्रसार माध्यमों के प्रभाव से महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति समानता एवं स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ हैं, परन्तु ग्रामीण समाज में औरतें परिवार और समाज के शोषण का शिकार हैं।

गाँवों में परिवार की आय में आधे से अधिक का भाग महिलाओं का रहता है परन्तु उनके द्वारा किये गये काम को आर्थिक गतिविधि मानने के बजाय सामान्य पारिवारिक दायित्व समझा जाता है। चौका—चूल्हा, बर्टन और बच्चों को पालने के साथ—साथ ग्रामीण बालिकाएँ होश सम्भालने के समय से ही पशु पालन, ईंधन बटोरने, पानी लाने, खेत खलिहान में काम करने लगती हैं और जीवन पर्यन्त करती रहती हैं। लेकिन इन सभी कार्यों को व्यवसाय के बजाय पारिवारिक कार्यों के रूप में मान्यता प्राप्त है, जबकि पुरुष द्वारा किये जाने वाले कार्य को व्यवसाय माना जाता है। खेती बाड़ी के सारे कार्यों में बराबर की भागीदारी होने पर भी महिलाओं को किसानों का दर्जा प्राप्त नहीं हैं, उन्हें वेतन राहित श्रमिक ही माना जाता है। यह विडम्बना ही है कि काम धंधों में सतत सक्रिय रहने पर भी महिलाएँ आर्थिक दृष्टि से पूर्णतया पराश्रित हैं।

**मूल शब्द – सशक्त समाज एवं सशक्त देश।**

### भूमिका –

सशक्तिकरण का अभिप्राय शक्ति प्रदान करने, मानसिक अथवा शारीरिक गतिविधियों के संपादन की क्षमता प्रदान करने में विस्तार से है वास्तव में ‘सशक्तिकरण’ एक मानसिक अवस्था है जो कुछ आन्तरिक कृशलताओं और शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक आदि परिस्थितियों पर निर्भर करती है जिसके लिए समाज में आवश्यक कानूनों, सुरक्षात्मक प्रावधानों और उनके भली-भाँति क्रियान्वयन हेतु सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था होना आवश्यक है।<sup>1</sup>

महिला सशक्तिकरण के सम्बन्ध में ‘ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स’ ने लिखा है कि यह औरतों को शक्ति, क्षमता तथा काबलियत देता है ताकि वे अपने जीवन स्तर को सुधार कर अपने जीवन की दिशा को स्वयं निर्धारित कर सके। यह एक प्रक्रिया है जो महिलाओं को सत्ता की कार्यशैली समझने की समझ देता है।

**महिला सशक्तिकरण की माप करने हेतु इसके अन्तर्गत चार तत्वों को सम्मिलित किया जाता है :–**

1. संसद / विधानमण्डलों में महिलाओं की भागीदारी का अंश
2. प्रशासन एवं प्रबन्धन में उनकी भागीदारी का प्रतिशत
3. प्रोफेशनल एवं तकनीकी सेवाओं में उनका अनुपात
4. महिलाओं की प्रति व्यक्ति आमदनी और उनकी तुलनात्मक आर्थिक स्थिति।

इन तत्वों के अतिरिक्त अन्य समसामयिक मुद्दों को भी शामिल किया जा सकता है जैसे – शैक्षिक स्थिति, स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थिति, सत्ता के साथ-साथ सम्पत्ति का अधिकार, बालिकाओं की शिक्षा, सामाजिक सुविधाओं की उपलब्धता, राजनैतिक और आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा एवं प्रजनन अधिकारों से है।<sup>1</sup>

सशक्तिकरण का अर्थ किसी कार्य को करने या रोकने की क्षमता से है, जिसमें महिलाओं को जागरूक करके उन्हे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य सम्बन्धित साधनों को उपलब्ध कराये जाने से है, ताकि उनके लिए सामाजिक न्याय और पुरुष महिला समानता का लक्ष्य हासिल हो सके। महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य महिलाओं की प्रगति, विकास एवं आत्मशक्ति को सुनिश्चित करना है।<sup>1</sup>

**महिला सशक्तीकरण की दिशा में विधिक प्रयास:-**

स्वतंत्रता के बाद देश में महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर प्रयास किये जाते रहे हैं—महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में एक अभिनव प्रयास हिन्दु उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 पारित करके किया गया। इस संशोधन के द्वारा पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों को वही अधिकार दिया गया है जो पुत्र को प्राप्त है इतना ही नहीं अधिनियम में पूर्व में मृत पुत्री की सन्तानों को वही अधिकार दिया गया है घरेलू उत्पीड़न से सुरक्षा हेतु एक विधेयक



संसद द्वारा वर्ष 2005 में पारित किया गया। विधायिका में महिला आरक्षण के मामले पर सभी गतिरोधों को दूर करने के लिए नया प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। 15 फरवरी 2006 को सर्वोच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने विवाह के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने का निर्देश दिया, महिला सशक्तीकरण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण न्यायिक कदम है।'

## महिला सशक्तीकरण के लिए विशेष कार्यक्रम

महिला सशक्तीकरण को मूर्त रूप देने के लिए महिलाओं के शैक्षिक, स्वास्थ्य एवं सामाजिक स्तर को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाये गये जिनका विवरण निम्न हैः-

**स्वाधार** – 'यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा 2 जुलाई 2001 से आरम्भ की गई, इसका उद्देश्य गंभीर परिस्थितियों में स्थित महिलाओं को समग्र व समन्वित सहायता प्रदान करना है।'

**स्वावलम्बन** – 'इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना है।'

**स्वशक्ति** – 'यह योजना 1998 में आरम्भ की गई इसका उद्देश्य महिलाओं में आत्मनिर्भरता व आत्मविश्वास बढ़ाने व स्वरोजगार की दिशा में उन्हें प्रेरित करने में स्वयं सहायता समूह इस योजना के अन्तर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत अभी तक 1200 समूहों को पंजीकृत किया जा चुका है।'

**स्वयंसिद्धा** – '12 जुलाई 2001 को आरम्भ की गई इस योजना के अन्तर्गत आत्मनिर्भर महिलाओं का स्वयं सहायता समूह गठन किया गया है। इस योजना को देश के 650 प्रखण्डों में 116 करोड़ रु की लागत से शुरू किया गया है।'

**आशा योजना** – '11 फरवरी 2005 को आरम्भ इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए प्रत्येक गाँव में स्थानीय स्तर पर एक आशा कार्यकर्त्री की तैनाती का प्रावधान है।'

**स्वर्णम योजना** – 'पिछड़े वर्ग की ऐसी महिलाएं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की हैं उन्हे आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु इस योजना का संचालन किया गया है। इसके अन्तर्गत 50 हजार रु तक का ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक दर पर दिया जाता है।'

**बालिका प्रोत्साहन** – 'वर्ष 2006-2007 में आरम्भ की गई इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 8 पास करने वाली बालिका को कक्षा 9 में नामांकित होने पर 3000 रु की एकमुश्त राशि दी जाती है।'

**बालिका छात्रवृत्ति योजना** – 'देश में बढ़ते लैंगिक असंतुलन को देखते हुये केन्द्र सरकार द्वारा इकलौती कन्या मुफ्त शिक्षा योजना शुरू की गयी है वर्ष 2005-06 में शुरू इस योजना के अन्तर्गत माता-पिता की इकलौती कन्या सन्तान को 6.12 कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा व विश्वविद्यालय स्तर पर इन्दिरा गांधी छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है।'

**अल्पावधि प्रवास गृह** – 1969 में शुरू इस योजना के अन्तर्गत बहिष्कृत या परित्यक्ता महिलाओं को पुनर्वास सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।'

**परिवार परामर्श केन्द्र** – 1984 से केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अधीन इस योजना के अन्तर्गत पारिवारिक असहयोग की समस्या से जूझ रही महिलाओं को पुनर्वास संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।'

**बालिका समृद्धि योजना** – 'इस योजना के अन्तर्गत नवजात बालिका के लिए 500 रु की आर्थिक सहायता की जाती है।'

**जननी सुरक्षा योजना** – 1 अप्रैल 2005 से आरम्भ इस योजना के अन्तर्गत 19 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को प्रथम दो जीवित प्रसवों पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।'

**विल योजना** – 'इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण किशोरियों व महिलाओं को साक्षर बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिशु देखभाल, परिवार कल्याण, दैनिक गृह प्रबन्ध आदि के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।'

**वंदेमातरम योजना** – इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक माह की 9 तारीख को निजी चिकित्सकों द्वारा गर्भवती महिलाओं को चिकित्सीय परामर्श व औषधियाँ उपलब्ध कराई जाती है।

## संदर्भ ग्रन्थ सूची

- कुमार, मनीष; "महिला सशक्तिकरण, दशा और दिशा", मधुर बुक्स, दिल्ली 2006 पृष्ठ-33,
- यादव, उत्तरा; "ग्रामीण नारी परिवर्तन की ओर", साहित्य संगम, इलाहाबाद 2004, पृष्ठ-16,
- हसनैन, नदीम; "समकालीन भारतीय समाज" भारत बुक सेन्टर, लखनऊ (2004) पृष्ठ-256



4. Agarwal, Bina ; "Gender and command over poverty -A critical gap in economic analysis and policy in South Asia" World Development Report Vol 22 1998 P.455.
5. Sen , Amart ; Development as freedom. New York: Alfred A Knopf. 1999, P.179
6. Pillai, J.K. ; Woman and Empowerment. Gyan Publishing House, New Delhi 1995. P.1

